प्राक्कथन

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत उत्तराखण्ड में **"भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण"** की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी (मार्च 2017) लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सांपादित की गयी है।